न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) रेवदर, जिला सिरोही

पीठासीन अधिकारी – रामजीभाई कलबी (RAS)

राजस्व प्रा. पत्र संख्या– 65/18

प्रार्थी :– समु देवी पत्नि केसाराम रेबारी निवासी– जेतावाड़ा

श्री नगेन्द्र मेड़तिया

बनाम

पोपटलाल पुत्र वागाजी पुरोहित निवासी– बांट

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते रास्ता देने के सबंध में

दिनांकः– 28/01/2021

निर्णय :–

उपरोक्त अनवान अन्तर्गत जरिये अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध पोपटलाल पुत्र वागाजी पुरोहित निवासी– बांट व अन्य बाबत खातेदारी कृषि भूमि मे वैकल्पिक रास्ता दिलाने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 13.08.2018 को पेश किया। जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के कब्जे करता की कृषि भूमि ग्राम जेतावाड़ा, पटवार हल्का– जेतावाड़ा , तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही में खसरा संख्या 26 रकबा 10 बीघा आई हुई है। जिसमें काश्तकार अपने परिवार का भरण पोषण करते है। प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 26 में आने–जाने के लिए तथा मवेशी, बैलगाड़ी आदि के लिए स्थायी रास्ता खसरा नं. 18 रकबा 10.17 बीघा से 15 फिट चौड़ा रास्ता चाहा है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से प्रथम दृष्टया सहमत होकर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को दिनांक 14.02.2019 को नोटिस जारी किया एवं तहसीलदार रेवदर से जांच रिपोर्ट मांगी गई। जो दिनांक 02.08.2019 को प्राप्त हुई जिसे सामिल मिसल किया गया।

दिनांक 18.07.2019 को न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगणों को रजिस्ट्रर ए.डी. से पुनः नोटिस जारी किये गए, जो तामिलशुदा प्राप्त हुए। तामिली उपरान्त अप्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही उनकी और से पैरवी के लिए किसी अधिवक्ता ने वकालातनामा पेश किया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं करने से दिनांक 28.01.2021 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश किए गए।

तहसीलदार रेवदर से प्राप्त रिपोर्ट व मौका फर्द अनुसार खसरा नम्बर 18 रकबा 10.17 बीघा में से प्रार्थी को अपनी आराजी तक आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना न्यायोंचित प्रतित होता है। होता हैं।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द अनुसार प्रार्थी अधिवक्ता को सुना, हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने पर पाया कि राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(A) तहत विधिक प्रावधानों का अवलोकन करना उचित होगा–, "अन्य खातेदारी की जोत में से नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना– 1. जहां (ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करना चाहता है। और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगा और उपखण्ड अधिकारी यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि–

5. यह आवश्यकता उत्पधिक आवश्यकता है ... सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है, और

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2021.03.05 15:45:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रेवदर (राज०)

6. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है''

प्रार्थी द्वारा रास्ते कि आवश्यकता के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदारी को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। ऐसी स्थिति में निर्धारित डी.एल.सी. द्वारा की दुगुनी राशि प्रतिकर के रूप में ली जाकर रास्ता प्रदत किया जा सकता है, ऐसा मार्ग 30 फीट से अधिक चौड़ा नही होगा तथा ऐसी भूमि का उपयोग सार्वजनिक होगा। तहसीलदार रेवदर की जांच रिपोर्ट में आवेदक को जोत पर जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता होने तथा चाहा गया रास्ता के निर्विवाद का भी उल्लेख है।

अतः उपर्युक्त विवचन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) स्वीकार किया जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रेवदर को मौजा– जेतावाड़ा, पटवार हल्का– जेतावाड़ा, के खसरा नम्बर 18 रकबा 10.17 बीघा(खातेदारी भूमि) में से 15 फिट भुमि रास्ते के लिए(नक्शा ट्रेस, मौका फर्द) अनुसार दिया जाना उचित है। वर्तमान निर्धारित डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि प्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जमा करावें एवं प्रार्थीगणों द्वारा जमा की गई राशि का भुगतान उपरोक्त खसरा के समस्त खातेदारों को उनके हक हिस्से अनुसार भुगतान करें तथा यदि खडे. वृक्ष, फसल या संरचना को हटाने के कारण कोई हानि होती है तो वास्तविक हानि की रकम भी अवधारित की जाकर वसूल कर राजकोष में जमा कराने हेतु आदेश दिया जाता है।

आज दिनांक ....28.01.2021....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
रेवदर

178
5/2/21

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं पालनार्थ –
1 तहसीलदार, रेवदर

उपखण्ड अधिकारी
रेवदर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2021.03.05 15:45:37 IST
Reason: SelfAttested